

फाइल मं. ए.-12022/23/86-पी.ई. I ——केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास ग्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैंप्टन एस के. सोमायजुलु को उनके पदभार संभालने की तारीख से उनकी सेवा निवृत्ति की श्रायु होने ग्रथीत् 31 दिसम्बर, 1990 तक कान्डला पत्तन न्यास का श्रध्यक्ष निय्क्त करती है ।

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

173 GI/87

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi, the 30th April, 1987

NOTIFICATION

F. No. A-12022|23|86-PE I.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (1) of Section 3 of the Majort Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Central Government appoint Capt. S. K. Somayajulu as Chairman, Kandla Port Trust with effect from the date he takes over the charge of the post and till the date of his superannuation, viz. 31st December, 1990.

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.
